

फर्द अहकाम  
(नियम 26)  
अज अदालत उप खण्ड अधिकारी मुकाम सूरजगढ़

भंवर सिंह बनाम अनिल सिंह वगै०

रूम मुकदमा धारा दावा 53,

मुकदमा न० (14) / 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.08.2022	<p>आज यह दावा बाद रिपोर्ट पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर हो। तलबी अप्रार्थीगण प्रस्तुत तलवाने पर जरिये नोटिस नकल दावा जरीये रजिस्ट्री ऐ०डी० भेजकर की जावे। वकील वादी रजिस्ट्री ऐ०डी० पेश करें। मिसल आयन्दा वास्ते तलबी हेतु दिनांक 29.09.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><del>उपस्थित</del> अधिकारी, सूरजगढ़</p>	
9-9-22	<p>अज पत्रावली पेश हुई। बकुलाय उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है/भ्रमण पर है। मिसल आयन्दा गत आदेशानुसार दिनांक 17.10.22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><del>उपस्थित</del></p>	<p>पुतिवाड़ी सरका 21/22 की ऑर से श्री सुरेन्द्र सिंह तवर ₹50 न वकालतनामा पेश किया</p>
17/10/22	<p>वकील उपस्थित/पीठासीन अधिकारी अवकाश/भ्रमण/अन्य कार्य पर है। मिसल आमन्दा दिनांक दिनांक 18/11/22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><del>उपस्थित</del></p>	
18/11/22	<p>अज पत्रावली पेश हुई। बकुलाय उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है/भ्रमण पर है। मिसल आयन्दा गत आदेशानुसार दिनांक 29/11/22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><del>उपस्थित</del></p>	

तारीख  
हुक्म

29/8/23

वकील पक्षकाराने उपस्थित / पीठासीन अधिकारी  
अवकाश / भरण / अन्य कार्य पर है। मिसर  
आपन्दा दिनांक दिनांक 29/8/23 को  
पेश हो।

रीडर

29/8/23

वकील पक्षकाराने उपस्थित / पीठासीन अधिकारी  
अवकाश / भरण / अन्य कार्य पर है। मिसर  
आपन्दा दिनांक दिनांक 31/8/23 को  
पेश हो।

रीडर

31/8/23

वकील पक्षकाराने उपस्थित / पीठासीन अधिकारी  
अवकाश / भरण / अन्य कार्य पर है। मिसर  
आपन्दा दिनांक दिनांक 4/9/23 को  
पेश हो।

रीडर

तदसीमाद अलग  
से विभाजन उस्तान  
जाए हुआ

4/9/23

पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकाराने उप  
वकील वादी द्वारा बहस कर सिद्ध  
किया गया कि सुतारिक विभाजन उस्तान  
के द्वारा अंतिम डिक्री किया जावे। वकील  
उत्तरवादी अरण्य 21 व 22 को द्वारा अंतिम  
डिक्री किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं  
है और उत्तरवादीगण के बार-बार आवाज  
मागवाही गई आवाज पर नहीं उत्तरवादी  
अरण्य 1 मागगत 20 व उत्तरवादी अरण्य 23  
मागगत 25 रुबम हालिज नहीं आता नहीं  
उत्तरवादी और वे कोई अधिवक्ता हालिज आता  
अता उत्तरवादी विभाजन एक पक्षीय कार्यवाही अर्थ  
से नहीं जाती है अता उत्तरवादी सुतारिक  
विभाजन उस्तान के अंतिम डिक्री किया जाता है  
डिक्री आता वे मिसर जाकर शामिल

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुकम  
की तामील में जारी हुए

पत्रावली सिपा गमा है पत्रावली फौजदारी  
डाक्टर होकर बरकर से काम है काट  
जाकर अखिल इफालर है c

उपखण्ड अधिकारी सुरजगठ